न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– एन. एम. पहाडिया, आई.ए.एस., जिला कलक्टर धौलपुर
अपील नम्बर :– 136/2017 (आर.सी.एम.एस.नं. :–2017/00211)
उनवानी प्रकरण :–
लज्जाराम दुबे निवासी पीताम्बरा कालोनी, काली माई मन्दिर के पास छोटी रेलवे फाटक के समीप धौलपुर ———————————————— अपीलान्ट।

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर ———————— रेस्पोडेण्ट।

अपील विरूद्ध आदेश प12/12/38/राजस्व/2015/पार्ट–II/94 दिनांक 06.10.2017 द्वारा अति.जिला कलक्टर धौलपुर अंतर्गत राज0 सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से :– स्वंय
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से :– श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक।

निर्णय दिनांक :–05.06.2018

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर के निर्णय दिनांक 06.10.2017 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि:–

1. राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 के तहत अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर के द्वारा अपीलार्थी के परिवाद को खारिज कर दिया है। परिवादी की भूमि की पैमाइश/सीमाकंन भू–प्रबन्ध विभाग की टीम से स्वंय के खर्चे पर कराने का आदेश पारित किया है।
2. राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 के तहत अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत परिवाद में खातेदारी भूमि आ.ख.नं. 665 रकवा 3 बीघा 18 विस्वा बाके ग्राम सामौर तहसील राजाखेडा की पैमाइश निर्धारित शुल्क 50 रूपया भू–राजस्व मद 0029 में दिनांक 02.06.2015 को जमा कराए गए जिसकी पैमाइश प्रावधानो के तहत 30 दिवस में की जानी थी परन्तु अधिकारी/कर्मचारियों ने बार–बार बहाने बाजी करते हुए सीमाज्ञान के मौके पर्चे तैयार कर अधिकारियो को गुमराह किया जाता रहा। तत्कालीन अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर ने राजस्व अनुभाग कलैक्ट्रेट धौलपुर की पत्रावली संख्या **प12/12/ 38/राजस्व/ 2015/ के पैरा** 85 में परिवादी के सीमाकंन के प्रकरण में तहसीलदार राजाखेडा को 04 बार तथा उपखण्डाधिकारी राजाखेडा को 12 बार पत्र लिखे गए, प्रकरण दिनांक 17.12.2015 से लम्बित है, सीमाज्ञान के प्रकरण का इतनी लम्बी अवधि तक अन्तिम रूप से निस्तारित नही होना इस बात का द्योतक है कि दोनो अधिकारियो द्वारा इस प्रकरण के निस्तारण में गम्भीरता नही बरती जा रही है, का उल्लेख दिनांक 27.03.2017 को किया जिस पर जिला कलक्टर धौलपुर के द्वारा Issue Charge Sheet to Both का निर्देश दिया। प्रभारी अधिकारी राजस्व, अतिरिक्त जिला

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

कलक्टर धौलपुर के यू0 ओ0 नोट 771 दिनांक 03.05.2017 से प्रभारी अधिकारी स्थापना अनुभाग कलैक्ट्रेट धौलपुर को तहसीलदार राजाखेडा को लिखे गये 3 पत्रो पर उपखण्डाधिकारी राजाखेडा को लिखे गए पत्र का अंकन होने से शेष रह गया था अंकित करते हुए नोट शीट पैरा 93 की प्रति भिजवाई गई। उपखण्डाधिकारी राजाखेडा श्री रामदेव मेहरा को 17 सीसीए नोटिस 1036 दिनांक 03.05.2017 जारी करते हुए 7 दिवस में जवाब मांगे गए। श्री रामदेव मेहरा उपखण्डाधिकारी राजाखेडा की सेवानिवृत्ति तक एंव श्री पुरूषोत्तम लाल तहसीलदार राजाखेडा का स्थानान्तरण आदेश राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से जारी हो जाने तक अपने जवाब जिला कलक्टर धौलपुर को नही भेजे। परिवादी की खातेदारी भूमि की पैमाइश समय पर नही की गई तथा जिला कलक्टर द्वारा जारी 17 सीसीए के नोटिस के जवाब समय पर नही दिए गए। जारी नोटिस पर क्या कार्यवाही हुई की सूचना अपीलान्ट को नही मिली तो अपीलान्ट ने प्रतिलिपि के आवेदन पत्र से प्रति मांगी जो नही मिली तब सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन किया गया उसे लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर ने 8(1)एच के तहत खारिज कर दिया। जिसकी अपील प्रस्तुत की जा चुकी है। राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 के तहत अपीलार्थी का परिवाद पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर के द्वारा आदेश संख्या 94 दिनांक 06.10.2017 जारी किया है। जिससे अपीलार्थी को आर्थिक एंव मानसिक रूप से क्षति पहुंची है।

3. आदेश 94 दिनांक 06.10.2017 में तहसीलदार राजाखेडा के पत्र भू.अ./2093 दिनांक 15.09.2016 का उल्लेख करते हुए मात्र तहसीलदार राजाखेडा के द्वारा रखे गए पक्ष को ही अपने आदेश का आधार मान लिया है जबकि तत्कालीन अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय एंव श्री नरेन्द्र सिंह चौहान के द्वारा जारी किये गये पत्रो में अंकित तथ्यो को नजर अंदाज कर दिया है। जिला कलक्टर धौलपुर के द्वारा जारी 17 सीसीए के नोटिस में अंकित तथ्यो को भी नजर अंदाज कर दिया गया। परिवादी द्वारा बिगत दो वर्षो में दिए गए परिवादो एंव उन परिवादो में अंकित तथ्यो पर जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा चाही गई रिपोर्ट तहसीलदार राजाखेडा द्वारा प्रस्तुत क्यो नही की गई का उल्लेख भी अपीलाधीन आदेश में नही किया गया है। यह आदेश मेरिट बेस के आधार पर विवेचना कर जारी नही किया है काल्पनिक, बेबुनियाद एंव पक्षपातपूर्ण तरीके से अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियो की मनमर्जी को संरक्षण देने वाले आदेश को खारिज किया जावे।
4. सीमाज्ञान/पैमाइश के मौका पर्चा जो पटवारी, गिरदावर, नायब तहसीलदार, तहसीलदार आदि के द्वारा प्रस्तुत किये है उन पर अपीलान्ट के द्वारा अंकित आक्षेप एंव इन मौका पर्चा के बारे में तत्कालीन जिला कलक्टर धौलपुर, अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर को प्रस्तुत किए गए परिवादो में अंकित तथ्यो पर जिला कलक्टर द्वारा तहसीलदार राजाखेडा, उपखण्डाधिकारी राजाखेडा से चाही गई बिन्दुवार रिपोर्ट जिला कलक्टर कार्यालय को प्राप्त नही हुई। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत पक्ष को अपीलाधीन आदेश में अंकित नही किया गया। पैमाईश जिला कलक्टर द्वारा गठित दल अथवा बेदाग छवि तहसीलदार/नायब तहसीलदार के द्वारा गठित सीमाकंन दल के माध्यम से सीमाकंन कराया जावे।
5. अपीलाधीन आदेश में पटवारियो के पास समुचित सीमाकंन साधन उपलब्ध नही होने की दशा में बन्दोवस्त विभाग से सीमाकंन कराया जाना उचित होगा अंकित किया है जो

(नन्दलाल पहाडिया)
जिला कलक्टर
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

तथ्यो के विपरीत है जिले की प्रत्येक तहसील में पटवारी/गिरदावरो के पास सीमाकंन /पैमाइश के समुचित साधन उपलब्ध है सैकडो सीमाकंन परिवादो का प्रतिवर्ष निस्तारण किया जा रहा है। सीमाकंन शुल्क के रूप में राज्य सरकार को प्रत्येक तहसील में राजस्व आय जमा हो रही है। अपीलान्ट के परिवाद को खारिज करने के लिए समुचित सीमाकंन साधन उपलब्ध नही होने का बहाना बनाया गया है।

6. गुनहगार कर्मचारी अधिकारियो को गम्भीर गुनाहो की सजा से बचाने के लिए अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर ने अपने पदीय कर्तव्यो का दुरूपयोग कर अपीलाधीन आदेश में असत्य तथ्य प्रस्तुत किए एंव सत्यता के प्रमाणित दस्तावेज के तथ्य तोड मरोड कर निर्णय बेबुनियाद एंव पक्षपात पूर्ण तरीको से गुनाहगार अधिकारियो को संरक्षण देने वाला प्रमाणित हो रहा है।
7. अपीलाधीन आदेश की लाईन नम्बर 7-8 में अंकित किया है कि खसरा नम्बर 665 की दिनांक 07.02.2015 प्रथम पैमाइश पटवारी द्वारा की गई जिससे परिवादी असंतुष्ट रहा। तथ्य सौ प्रतिशत फर्जी व असत्य है। जिसकी मौका पर्चा की प्रमाणित प्रति नकल आवेदन से मांगने पर राजस्व विभाग बाबू द्वारा प्रमाणित नकल देने के बजाय कहा कि फैसले में गलती से अंकन हो गया है।
8. दिनांक 18.07.15 को खसरा नं. 665 की सीमाज्ञान की कार्यवाही गलत है जिसका प्रमाण यह है कि दिनांक 18.07.15 के सीमाज्ञान मौका पर्चा पर अपीलान्ट द्वारा यह अंकित किया है कि पैमाइस की नाप तौल दिशा विपरीत होने के कारण वास्तविक माप पैमाइश नही की गई है।
9. दिनांक 21.10.2015 की सीमाज्ञान की कार्यवाही गलत है। दिनांक 21.10.2015 के सीमाज्ञान मौका पर्चा पर अपीलान्ट द्वारा यह अंकित किया है कि सीमाज्ञान बिल्कुल नही हुआ। पैमाइश तो हुई परन्तु खसरा स्थल पर पैमाइश नही हुई इसलिए सीमाज्ञान कराना अभी शेष है। अपीलान्ट झूठी एंव मिथ्या सीमाज्ञान कार्यवाही से असंतुष्ट है।
10. दिनांक 21.11.2015 की सीमाज्ञान कार्यवाही गलत है। दिनांक 21.11.2015 के मौका पर्चा पर नायब तहसीलदार राजाखेडा ने यह अंकित किया कि मुताबिक नक्शा लठ्ठा के ख.नं. 665 के सीमाज्ञान हेतु मुस्तकील बिन्दुओ की तलाश की लेकिन मौके पर मुस्तकिल बिन्दु नही मिले इसलिए सीमाज्ञान नही हो सका। ख.नं. 665 पर पूर्व में दो बार पैमाइश में मुस्तकील बिन्दु नक्शा लठ्ठा मौके पर मिले थे परन्तु नायब तहसीलदार को नक्शा लठ्ठा व मौके पर मुस्तकिल बिन्दु क्यो नही मिले।
11. दिनांक 29.04.16 को सीमाज्ञान कार्यवाही हुई जिसमें अंकित तथ्य गलत है। तहसीलदार राजाखेडा ने दिनांक 29.04.16 को सीमाज्ञान कराने हेतु 10 बजे का समय निर्धारित किया था जब परिवादी निर्धारित समय पर पहुंचने के बाद पता चला कि दल ने परिवादी की अनुपस्थिति में पैमाइश कर ली। दल द्वारा आदतन गलत पैमाइश का नाटक किया गया। खसरा नम्बर 665 की पैमाइश करने के बजाय मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना के तहत बने तालाब की पाल तक पानी भराव भूमि की पैमाइश करके बताई थी। मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना के तहत तालाब सिर्फ सिवायचक एंव गोचर भूमि पर बनाने का प्रावधान है। दल द्वारा जो मौका पर्चा बनाया था उस पर अपीलान्ट ने रिमार्क लगाया था जिसे नायब तहसीलदार ने ले लिया और दूसरी बार मौका पर्चा बनाकर तहसीलदार ने रिमार्क नही लगाने दिया।
12. दिनांक 26.12.2016 का मौका पर्चा भी गलत है। राजस्व विभाग के नियमो के तहत किसी भी खसरा नम्बर की सीमाज्ञान करने की तिथि निर्धारित की सूचना परिवादी को

(नन्नूमल पहाडिया)
जिला कलक्टर
धौलपुर

जिला कलक्टर धौलपुर

देना निहायत जरूरी होता है। परन्तु तहसीलदार राजाखेडा ने अपीलान्ट की भूमि का सीमाज्ञान करने की दिनांक 26.12.2016 की सूचना नही दी। तहसीलदार राजाखेडा ने जरिये मोबाइल बताया गया उस समय अपीलान्ट अपने परिवारिक कार्य से ग्वालियर में था ऐसी स्थिति में तहसीलदार राजाखेडा द्वारा दिनांक 26.12.2016 का मौका पर्चा बनाना अपने आप में प्रमाण है कि की गई कार्यवाही मिथ्या है।

13. दिनांक 27.04.2017 की सीमाज्ञान की कार्यवाही नियम विरोधी एंव अतिक्ति जिला कलक्टर के आदेश के विपरीत होने के कारण गलत है। अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर के पत्रांक 742/26.04.17 से तहसीलदार राजाखेडा को जून 2017 के प्रथम सप्ताह में अपनी उपस्थिति में सीमाज्ञान कराने के आदेश दिये थे उच्चाधिकारियों के निर्देश के बावजूद तहसीलदार द्वारा दिनांक 27.04.2017 को पैमाइश हेतु दल को भेजा गया।

14. दिनांक 26.05.2017 के मौका पर्चा में सीमाज्ञान के विषय पर कार्यवाही गलत है। नियम विरूद्ध एंव अतिरिक्त जिला कलक्टर के आदेश के विपरीत है। अतिरिक्त जिला कलक्टर के पत्र दिनांक 13.06.17 से तहसीलदार राजाखेडा को पत्र के माध्यम से यह अवगत करा चुके थे कि परिवादी के चेचेरे भाई की लडकी की शादी होने के कारण अपीलान्ट दिनांक 26.05.2017 को सीमाज्ञान की कार्यवाही में मौके पर हाजिर नही हो सकता। इस तथ्य की जानकारी दिनांक 24.05.17 को देने के बावजूद तहसीलदार राजाखेडा ने दिनांक 26.05.17 को पैमाइश दल भेजा। तहसीलदार राजाखेडा को सीमाज्ञान के संबध में दिए गए निर्देश की पालना नही किये जाने की अपीलाधीन आदेश में विवेचना नही की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर रेस्पोडेण्ट का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे तथा पुनः सीमाज्ञान कराये जाने के आदेश दिये जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर से टिप्पणी मय आवश्यक दस्तावेज चाही गई। रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री गोपाल नारायण शर्मा उपस्थित हुये। अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर से टिप्पणी मय दस्तावेज प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गयी।

रेस्पोडेण्ट से प्राप्त टिप्पणी के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि:–

1. राजस्व अनुभाग की नोट सीट के पैरा एन 84 में "परिवादी के सीमाज्ञान के प्रकरण में तहसीलदार को 4 बार तथा एस.डी.ओ. को 12 बार पत्र लिखे गये, प्रकरण 17.12.2015 से लम्बित है, सीमाज्ञान के प्रकरण का इतनी लम्बी अवधि तक अन्तिम रूप से निस्तारित नही होना इस बात का द्योतक है कि दोनो अधिकारियो द्वारा इस प्रकरण के निस्तारण में गम्भीरता नही बरती जा रही है" का अंकन प्रभारी अधिकारी राजस्व की ओर से अंकित किया गया जिस पर जिला कलक्टर के द्वारा दोनो को चार्जशीट जारी करने के निर्देश पैरा एन 85 में दिये गये जिसकी पालना में कार्यवाही किये जाने हेतु प्रभारी अधिकारी स्थापना अनुभाग को जरिये यू0ओ0 नोट क्रमांक 684 दिनांक 19.04.2017 को लिखा गया है। जिसके संबध में कार्यवाही स्थापना अनुभाग से की गई।
2. दिनांक 08.09.2017 को अपीलान्ट की भूमि खसरा नम्बर 665 बाके ग्राम सामोर की सीमाज्ञान के संबध में पटवारी हल्का सामौर एंव भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त दिहोली को रिकॉर्ड सहित बुलाया जाकर प्रकरण से संबधित नक्शा, जमाबन्दी का अवलोकन किया

(नन्दमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

गया। अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दूरभाष पर सूचित किया अपीलान्ट ने धौलपुर से 17–18 किमी दूर गांव में होना एंव उपस्थित नही होना बताया गया। प्रकरण के संबध में पटवारी हल्का सामोर, भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त दिहोली द्वारा उक्त खसरा नम्बर की 3–4 बार पैमाइश की जाने की पुष्टि की। तहसीलदार राजाखेडा को तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया तथा अपीलान्ट को राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 के तहत अपीलान्ट की सुनवाई हेतु सूचना पत्र जारी किया।

3. अपीलान्ट दिनांक 15.09.17 को व्यक्तिशः उपस्थित हुआ और उसको सुना गया। तहसीलदार राजाखेडा से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नही होने पर पुनः लिखा गया। तहसीलदार राजाखेडा के द्वारा पत्रांक 2093 दिनांक 15.09.17 से प्राप्त रिपोर्ट में अंकित किया कि आराजी खसरा नम्बर 665 ग्राम सामौर की दिनांक 18.07.2015 को अपीलान्ट की उपस्थिति में राजस्व विभाग की टीम द्वारा पैमाइश की गई जिस पर अपीलान्ट ने अपनी लेखनी से असंतुष्टि जाहिर की।
4. दिनांक 21.10.2015 को राजस्व विभाग की टीम के द्वारा अपीलान्ट की उपस्थिति में पैमाइश की गई उससे भी अपीलान्ट असंतुष्ट रहा।
5. उपखण्डाधिकारी राजाखेडा के आदेश क्रमांक राजस्व/2016/345 दिनांक 11.04.2016 द्वारा जारी आदेश के सन्दर्भ में तीसरी बार तत्कालीन तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारियान, गिरदावर की संयुक्त राजस्व विभाग की टीम द्वारा अपीलान्ट की आराजी खसरा नम्बर 665 की पैमाइश दिनांक 29.04.2016 को अपीलान्ट की उपस्थिति में की गई तथा कोई असंतुष्टि/नकारात्मक टिप्पणी अंकित नही की गई।
6. तीन बार पैमाइश होने के बावजूद अपीलान्ट द्वारा पुनः पैमाइश हेतु शिकायती पत्र प्रेषित किया जिसके सन्दर्भ में तहसीलदार राजाखेडा के पत्रांक भूअ/16/4415 दिनांक 07.10.2016 से प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया कि मौके पर खसरा नम्बर 665 रकवा 3 बीघा 18 विस्वा बेहड क्षेत्र में स्थित है जहां आसपास मुस्तकिल मुकाम नही है दूर दूर से जरीब चलाकर सीमाज्ञान सम्पन्न कराया जाता है तथा पटवारियान के पास समुचित सीमाज्ञान के साधन उपलब्ध नही है ऐसी दशा में बन्दोबस्त विभाग से सीमाज्ञान कराया जाना उचित होगा।
7. सीमाज्ञान के पुनः आदेश पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी व गिरदावर की टीम सहित मौके पर पैमाइश हेतु पहुंचे तो मौके पर फसल खडी थी तथा अपीलान्ट को बुलाया गया तो उसने बताया कि फसल कटने के उपरान्त पैमाइश करायेगा अन्ततः पूरी राजस्व टीम वापिस लौट आई।
8. पुनः 8 पटवारी/गिरदावर की संयुक्त पैमाइश टीम का गठन कर दिनांक 27.04.2017 को तिथि निर्धारित की गई तथा अपीलान्ट को उसके घर जाकर पटवारी द्वारा तामील कराई गई कि वह दिनांक 27.04.2017 को उपस्थित हो। निर्धारित दिनांक को तहसीलदार राजाखेडा राजस्व टीम के साथ मौके पर पैमाइश हेतु पहुंचे परन्तु अपीलान्ट मौके पर उपस्थित नही हुए उनके मोबाइल पर वार्ता की गई कि वह मौके पर पहुंचे परन्तु उन्होने इंकार कर दिया। अन्ततः टीम को वापिस लौटना पडा।
9. पुनः पैमाइश के आदेश दिये जाने पर राजस्व विभाग की टीम का गठन किया गया तथा अपीलान्ट को व्यक्तिगत रूप से तामील कराई गई कि वह दिनांक 26.05.2017 को मौके पर उपस्थित रहकर सीमाकंन करावे। दिनांक 26.05.2017 को मौके पर तहसीलदार सहित सात पटवारी/गिरदावरान की टीम खसरा नम्बर 665 ग्राम सामौर

(नन्दमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

के मौके पर पहुंची मौके पर उपखण्डाधिकारी राजाखेडा भी पहुंचे परन्तु अपीलान्ट मौके पर उपस्थित नही हुआ तथा राजस्व विभाग की टीम अपीलान्ट का इन्तजार करती रही जिसका पर्चा मौका तैयार किया गया जिसमें स्पष्ट अंकित किया कि उक्त परिवादी जानबूझ कर राजस्व विभाग के अधिकारियो/कर्मचारियो को परेशान करता है तथा राजकीय समय को बर्वाद करता है तथा पैमाइश से संतुष्ट नही होता है लिहाजा बन्दोवस्त विभाग से पैमाइश कराया जाना उचित होगा।

10. अपीलान्ट द्वारा भूमि की पैमाइश के लिए बार बार निवेदन किये जाने पर अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र पर राज0 सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 के तहत सुनवाई की गई एंव तहसीलदार राजाखेडा द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट की आराजी खसरा नम्बर 665 ग्राम सामौर तहसील राजाखेडा की बार–बार सीमाज्ञान कराये जाने एंव राजस्व विभाग की टीम द्वारा की जाने वाली सीमाज्ञान से संतुष्ट नही होने की दशा में अपीलान्ट की भूमि का सीमाज्ञान भू–प्रबन्ध विभाग की टीम के माध्यम से कराये जाने का निर्णय पारित किया गया। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

अपीलान्ट ने अपनी अपील के समर्थन में छायाप्रति अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.10.17, छायाप्रति कार्यालय टिप्पणी पैरा 80 लगायत 87, छायाप्रति नकल आवेदन दिनांक 23.10.17, छायाप्रति मौका पर्चा दिनांक 18.07.2015 दिनांक 21.10.2015 दिनांक 21.11.2015, छायाप्रति प्रार्थना पत्र दिनांक 22.09.16, पत्र दिनांक 05.11.2016 दिनांक 27.01.17 दिनांक 13.06.17 दिनांक 26.04.2017 द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर की छायाप्रति पेश की गई।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलान्ट ने लिखित बहस पेश करते हुए मौखिक बहस में कथन किया कि राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 के तहत जारी आदेश संख्या 94 दिनांक 06.10.2017 असत्य है एंव अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर के अधिकार क्षेत्र में नही है। तहसीलदार राजाखेडा द्वारा रखे गए पक्ष को ही आदेश का आधार मान लिया है जबकि जिला कलक्टर कार्यालय से पूर्व अतिरिक्त जिला कलक्टरो द्वारा जारी किए दर्जनो पत्रो में अंकित तथ्यो को नजर अंदाज कर दिया गया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत परिवादो में अंकित तथ्यो पर जिला कलक्टर द्वारा चाही गई रिपोर्ट तहसीलदार राजाखेडा से प्राप्त नहीं हुई जिसका हवाला अपीलाधीन आदेश में नही किया गया है। अतिरिक्त जिला कलक्टर को अनुचित निर्णय लेने का अधिकार नही है। अपीलार्थी की अपील के बिन्दु संख्या 2 को अतिरिक्त जिला कलक्टर ने न्यायालय में प्रस्तुत टिप्पणी में स्वीकार कर लिया है। अपीलाधीन आदेश में अंकित लाइन नं. 7–8 पर अंकित है कि खसरा नं. 665 की दिनांक 07.02.2015 को प्रथम पैमाइश पटवारी द्वारा की गई जिससे अपीलान्ट असंतुष्ट रहा। यह तथ्य मनगढन्त एंव फर्जी तथ्य अंकित किया है। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 23.10.2017 से जरिये नकल आवेदन फर्जी सीमाज्ञान की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति मांगने पर प्रतिलिपि में लिपिकीय त्रुटि से 07.02.2015 होना लिख दिया। फैसलो में लिपिकीय त्रुटि मान्य नही होती है। बल्कि फैसला गलत होता है। अपीलान्ट द्वारा मौका पर्चा दिनांक 28.12.2016 की प्रमाणित प्रति मांगने पर यह लिख कर दिया कि दिनांक 28.12.2016 का मौका पर्चा रिकार्ड में नही होने के कारण मांगी गई नकले दिया जाना संभव नही है। जब दिनांक 28.12.2016 का मौका पर्चा रिकॉर्ड में नही था तो अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा अपने आदेश में फर्जी तथ्य कैसे अंकित किया। अपीलाधीन आदेश फर्जी साबित हो चुका है अपीलान्ट ने अपनी बहस के दौरान यह भी कथन किया कि

(नन्नूराम पहाड़िया)
जिला कलक्टर
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

दिनांक 21.11.2015 को सीमाज्ञान की कार्यवाही गलत है। नायब तहसीलदार द्वारा सीमाज्ञान हेतु मुस्तकिल बिन्दुओ की तलाश की लेकिन मुस्तकिल बिन्दु नही मिले। जबकि पूर्व में दो बार पैमाइश में मुस्तकिल बिन्दु नक्शा लठ्ठा मौके पर मिले थे। दिनांक 29.04.2016 की पैमाइश के सम्बन्ध में अपीलान्ट को 10 बजे पहुंचने का समय निर्धारित किया गया जब अपीलान्ट निर्धारित समय पर पहुंचा तो उससे पूर्व तहसीलदार राजाखेडा द्वारा अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पैमाइश कर ली गई थी। पांचबी बार दिनांक 26.12.2016 की पैमाइश के सम्बन्ध में सीमाज्ञान हेतु निर्धारित तिथि की सूचना सम्बन्धित व्यक्ति को दिया जाना निहायत जरूरी होता है किन्तु तहसीलदार द्वारा दिनांक 26.12.2016 की पैमाइश की कोई सूचना अपीलान्ट को पूर्व में नही दी। इसी दिनांक को अपीलान्ट अपने पारिवारिक कार्य से ग्वालियर में था। इस प्रकार तहसीलदार राजाखेडा द्वारा दिनांक 26.12.2016 का मौका पर्चा बनाना अपने आप में यह सिद्व करता है कि कार्यवाही मिथ्या है। दिनांक 26.05.2017 को तहसीलदार राजाखेडा द्वारा सीमाज्ञान की कार्यवाही हेतु पैमाइश दल भेजा गया था जबकि अपीलान्ट ने दिनांक 24.05.2017 को यह सूचित कर दिया गया था कि अपीलान्ट के चचेरे भाई की लडकी की शादी होने के कारण वह हाजिर नही हो सकता। अपीलाधीन आदेश में रेस्पोडेन्ट ने अपने पत्र क्रमांक 742 दिनांक 26.04.2017 द्वारा तहसीलदार राजाखेडा को जून 2017 के प्रथम सप्ताह में अपीलान्ट की अपनी उपस्थिति में सीमाज्ञान कराने के निर्देश दिये थे। जिससे बावजूद तहसीलदार राजाखेडा ने दिनांक 26.05.2017 को पैमाइश के लिए दल भेजकर आदेशो की अवहेलना की। रेस्पोडेन्ट का आदेश दिनांक 06.10.2017 काल्पनिक एंव गलत तथ्यो पर आधारित है जिसे खारिज किया जावे तथा पुनः सीमाज्ञान कराये जाने के आदेश दिये जावे।

रैस्पोडेण्ट के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया, कि दिनांक 08.09.2017 को अपीलान्ट की भूमि खसरा नम्बर 665 बाके ग्राम सामोर की सीमाज्ञान के संबध में पटवारी हल्का सामौर एंव भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त दिहोली को रिकॉर्ड सहित बुलाया जाकर प्रकरण से संबधित नक्शा, जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दूरभाष पर सूचित किया अपीलान्ट ने उपस्थित होने में असमर्थता जाहिर की। प्रकरण के संबध में पटवारी हल्का सामोर, भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त दिहोली द्वारा उक्त खसरा नम्बर की 3–4 बार पैमाइश की जाने की पुष्टि की। आराजी खसरा नम्बर 665 ग्राम सामौर की दिनांक 18.07.2015 को अपीलान्ट की उपस्थिति में राजस्व विभाग की टीम द्वारा पैमाइश की गई जिस पर अपीलान्ट ने अपनी लेखनी से असंतुष्टि जाहिर की। पुनः दिनांक 21.10.2015 को राजस्व विभाग की टीम के द्वारा अपीलान्ट की उपस्थिति में पैमाइश की गई उससे भी अपीलान्ट असंतुष्ट रहा। तीसरी बार तत्कालीन तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारियान, गिरदावर की संयुक्त राजस्व विभाग की टीम द्वारा अपीलान्ट की आराजी खसरा नम्बर 665 की पैमाइश दिनांक 29.04.2016 को अपीलान्ट की उपस्थिति में की गई तथा कोई असंतुष्टि/नकारात्मक टिप्पणी अंकित नही की गई। तीन बार पैमाइश होने के बावजूद अपीलान्ट के असन्तुष्ट होने पर तहसीलदार राजाखेडा से रिपोर्ट प्राप्त की रिपोर्ट दिनांक 07.10.2016 के द्वारा तहसीलदार ने अवगत कराया कि मौके पर खसरा नम्बर 665 रकवा 3–18 बीघा बेहड क्षेत्र में स्थित है जहां आसपास मुस्तकिल मुकाम नही है दूर दूर से जरीब चलाकर सीमाज्ञान सम्पन्न कराया जाता है। सीमाज्ञान के पुनः आदेश पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी व गिरदावर की टीम सहित मौके पर पैमाइश हेतु पहुंचे तो मौके पर फसल खडी थी तथा अपीलान्ट को बुलाया गया तो उसने बताया कि

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
धौलपुर

फसल कटने के उपरान्त पैमाइश करायेगा अन्ततः पूरी राजस्व टीम वापिस लौट आई। रेस्पोडेण्ट के विद्वान अभिभाषक ने बहस में यह भी कथन किया कि पुनः 8 पटवारी/गिरदावर की संयुक्त पैमाइश टीम का गठन कर दिनांक 27.04.2017 को तिथि निर्धारित की गई तथा अपीलान्ट को उसके घर जाकर पटवारी द्वारा तामील कराई गई कि वह दिनांक 27.04.2017 को उपस्थित हो। निर्धारित दिनांक को तहसीलदार राजाखेडा राजस्व टीम के साथ मौके पर पैमाइश हेतु पहुंचे परन्तु अपीलान्ट मौके पर उपस्थित नही हुए उनके मोबाइल पर वार्ता की गई कि वह मौके पर पहुंचे परन्तु उन्होने इंकार कर दिया। पुनः पैमाइश के आदेश दिये जाने पर राजस्व विभाग की टीम का गठन किया गया तथा अपीलान्ट को व्यक्तिगत रूप से तामील कराई गई कि वह दिनांक 26.05.2017 को मौके पर उपस्थित रहकर सीमाकंन करावे। दिनांक 26.05.2017 को मौके पर तहसीलदार सहित सात पटवारी/गिरदावरान की टीम खसरा नम्बर 665 ग्राम सामौर के मोके पर पहुंची मौके पर उपखण्डाधिकारी राजाखेडा भी पहुंचे परन्तु अपीलान्ट मौके पर उपस्थित नही हुआ तथा राजस्व विभाग की टीम अपीलान्ट का इन्तजार करती रही जिसका पर्चा मौका तैयार किया गया जिसमें स्पष्ट अंकित किया कि उक्त परिवादी जानबूझ कर राजस्व विभाग के अधिकारियो/कर्मचारियो को परेशान करता है तथा राजकीय समय को बर्वाद करता है तथा पैमाइश से संतुष्ट नही होता है लिहाजा बन्दोवस्त विभाग से पैमाइश कराया जाना उचित होगा। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

दोनो पक्षो की बहस सुनने एंव पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि:—

1. अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट से मौका पर्चा दिनांक 28.12.2016 की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि दिनांक 28.12.2016 का मौका पर्चा रिकार्ड में नही होने के कारण मांगी गई नकले दिया जाना संभव नही है। जब दिनांक 28.12.2016 का मौका पर्चा रिकॉर्ड में नही था तो रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने आदेश में उक्त मौके पर्चे का उल्लेख किस आधार पर किया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 28.12.2016 को कोई पैमाइश नही की गई।
2. दिनांक 18.07.2015 के मौका पर्चा में यह अंकित किया है कि अपीलान्ट के समक्ष मुताबिक नक्शा लट्ठा के मुस्तकिल बिन्दु से जरीब चलाकर निशानात लगवाये गये इसी प्रकार दिनांक 21.10.2015 की मौका पर्चा रिपोर्ट में अंकित है कि मौके पर जरीब चलाकर सीमाज्ञान किया किन्तु पैमाइश से अपीलान्ट संतुष्ट नही था।
3. दिनांक 21.11.2015 के मौका पर्चा पर अपीलान्ट की उपस्थिति के हस्ताक्षर है। रेस्पोडेन्ट ने रिपोर्ट में अंकित किया है कि मुताबिक नक्शा लट्ठा के आराजी खसरा नम्बर 665 के सीमाज्ञान हेतु मुस्तकिल बिन्दु नही मिले एंव मौके पर फसल बुवाई भी हो चुकी थी। इस बजह से सीमाज्ञान पूर्ण नही हो सका। पूर्व में दिनांक 18.07.20105 एंव दिनांक 21.10.2015 को दो बार पैमाइश करने के दौरान मुस्तकिल बिन्दु मिल गया था तो इस बार मुस्तकिल बिन्दु नही मिलना यह जाहिर करता है कि मुस्तकिल बिन्दु ढूढने हेतु प्रयास नही किया गया है।
4. दिनांक 29.04.2016 के मौका पर्चा रिपोर्ट में यह अंकित है कि मुताबिक नक्शा लट्ठा मुस्तकिल मुकाम आराजी खसरा नम्बर 699 गै.मु. कुआँ रकबा 1 विस्वा से पश्चिम दिशा की ओर जरीब चलाकर आराजी खसरा नम्बर 665 पर निशानात कायम कराये गये तथा इसी प्रकार मुस्तकिल मुकाम खसरा नम्बर 651 गै.मु. कुआँ से दक्षिण दिशा

(नन्दमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

की ओर जरीब चलाकर खसरा नम्बर 665 पर निशानात कायम कराये इस प्रकार आराजी खसरा नम्बर 665 की चारो भुजाओ का सीमाकंन कर निशानात कायम कराये आराजी खसरा नम्बर 665 की दक्षिणी पश्चिमी दिशा में कोई भी मुस्तकिल बिन्दु मौजूद नही मिले थे। वक्त पैमाइश अपीलान्ट उपस्थित थे जिनकी उपस्थिति के हस्ताक्षर मौका पर्चा पर हो रहे है। उक्त पैमाइश रिपोर्ट के सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा कोई असहमति/आपत्ति जाहिर नही की थी। इससे यह स्पष्ट था कि अपीलान्ट दिनांक 29.04.2016 की पैमाइश से संतुष्ट था। इस पैमाइश के सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आक्षेप निराधार है।

5. दिनांक 26.12.2016 के मौका पर्चा के अनुसार आराजी के आसपास मौके पर फसल खडी होने एंव कानून व्यवस्था की दृष्टि से सीमाज्ञान कराया जाना उचित नही बताया तथा अपीलान्ट ने भी दूरभाष पर यह जाहिर किया कि फसल खडी होने के कारण पैमाइश नही कराना चाहता है। अतः इस मौके पर्चे को पैमाइश होना नही माना जा सकता।
6. दिनांक 26.05.2017 को तहसीलदार राजाखेडा द्वारा सीमाज्ञान की कार्यवाही हेतु पैमाइश दल भेजा किन्तु अपीलान्ट ने दिनांक 24.05.2017 को यह सूचित कर दिया गया था कि अपीलान्ट के चचेरे भाई की लडकी की शादी होने के कारण वह हाजिर नही हो सकता। अपीलाधीन आदेश में रेस्पोडेन्ट ने अपने पत्र क्रमांक 742 दिनांक 26.04.2017 द्वारा तहसीलदार राजाखेडा को जून 2017 के प्रथम सप्ताह में अपीलान्ट की अपनी उपस्थिति में सीमाज्ञान कराने के निर्देश दिये थे। इसके उपरान्त भी तहसीलदार राजाखेडा ने दिनांक 26.05.2017 को अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पैमाइश की है जो नियमानुसार नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायहित में अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना एंव रेस्पोडेन्ट के आदेश दिनांक 06.10.2017 निरस्त किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट न्यायहित में स्वीकार की जाकर रेस्पोडेन्ट के आदेश दिनांक 06.10.2017 को निरस्त किया जाता है। तथा उपखण्डाधिकारी राजाखेडा की उपस्थिति में पुनः सीमाज्ञान कराये जाने के आदेश दिये जाते है। उपखण्डाधिकारी राजाखेडा को निर्देश दिये जाते है कि वह स्वंय मौके पर जाकर आराजी खसरा नम्बर 665 रकबा 3 बीघा 18 विस्वा बांके ग्राम सामौर का सीमाज्ञान (पैमाइश) अपीलान्ट की उपस्थिति में कराया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति मूल अभिलेख के साथ रेस्पोडेन्ट को भिजवाई जावें। निर्णय की प्रति पालना हेतु उपखण्डाधिकारी राजाखेडा को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 05.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

(एन. एम. पहाडिया)
जिला कलक्टर धौलपुर

(नन्नूमल पहाडिया)
जिला कलक्टर
धौलपुर